उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग-2
संख्या-77/2016/2517 ई-2 /तेरह-2016-233/2000टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 09 दिसम्बर, 2016

कार्यालय आदेश

आबकारी विभाग में सुरक्षा होलोग्राम की आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश मिश्र, 5 एच/7, कूपर रोड, सिविल लाइन, इलाहाबाद के शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश संख्या-19/2016/ 561 ई-2/तेरह-2016-233/2000 टी0सी0 दिनांक 31 मार्च, 2016 द्वारा जांच संस्थित करते हुये श्री ओंकारेश्वर भट्ट, मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को जांच अधिकारी नामित किया गया और उनसे यथाशीघ्र जांच सम्पन्न कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- तत्क्रम में आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या-ए 26994/चार-विविध/अधिष्ठान/होलोग्राम जॉच/2015, दिनांक 04 नवम्बर,2016 द्वारा जांच अधिकारी को जांच प्रक्रिया में आवश्यक सुविधा एवं सहयोग उपलब्ध कराने का उल्लेख करते हुये जांच सम्पन्न करने हेतु दि0 31-12-2016 की तिथि निर्धारित करने एवं नियत तिथि में जांच सम्पन्न न हो पाने पर जांच समाप्त करने की संस्तुति की गई है। जांच अधिकारी के पत्र संख्या- 48/ हो0आ0/ जांच/2016, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 द्वारा जांच में की जा रही कार्यवाही से अवगत कराते हुए जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये तीन माह यानि फरवरी, 2017 के अन्त तक अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3- अत: आबकारी आयुक्त की संस्तुति एवं जांच अधिकारी के अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा आबकारी विभाग में सुरक्षा होलोग्राम आपूर्त्क की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पर संस्थित जांच को पूर्ण करने हेतु दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक का समय प्रदान किया जाता है।

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव ।

संख्या-77/2016/2517(1) ई-2 /तेरह- 2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) श्री ओंकारेश्वर भट्ट, मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), मा0 उच्च न्यायालय, आवास संख्या- 4/3 बी0 ड्रमण्ड रोड, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया जांच पूर्ण कर दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक जांच आख्या अवश्यमेव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ।
(2) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, 171 पुराना ममफोर्डगंज, इलाहाबाद।
(3) वैभागिक आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,
( विनोद कुमार तिवारी )
अनुसचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।